	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में हुए

29.03.2023

पत्रावली आज रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र पर आदेशार्थ पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। जिनकी बहस रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र बाबत पूर्व में सुनी जा चुकी है। अपनी बहस में अधिवक्ता–प्रार्थी ने रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अदालत हाजा के समक्ष पक्षकारान के मध्य एक मूल अपील संख्या 88/2017 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवान सोमुखां व अन्य बनाम सीयाराम इत्यादि रेस्पो. की तामील हेतु विचाराधीन रहने के दौरान 22 मार्च 2020 के पश्चात वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण लागू की गयी देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति के दौरान अधिवक्ता–अपीलाण्ट द्वारा मामले में तारीख–पेशी अपनी डायरी में नोट नहीं कर पाये और इस कारण निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 08 जनवरी 2021 को अदालत हाजा के समक्ष पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये। जिससे अपील अपीलाण्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। प्रार्थीया–अपीलाण्ट संख्या दो जोधपुर से बाहर निवास करने वाली एक ग्रामीण अशिक्षित महिला है और लॉकडाउन की स्थिति में अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पायी। इन सभी परिस्थितियों में अपीलाण्ट अथवा अधिवक्ता–अपीलाण्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 17 दिसम्बर 2021 को अपीलाण्ट द्वारा जोधपुर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रकरण की जानकारी चाहने पर प्रकरण दिनांक 08 जनवरी 2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज हो जाने बाबत विदित हुआ, अतः आवश्यक कार्यवाही कर आलौच्य प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया, जो मियादशुमार किया जाकर स्वीकार किया जावे तथा मूल अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने लिखित जबाब पेश कर विरोध करते हुए प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट संख्या एक सोमु खां ने अपनी भूमि का बेचान प्रेमाराम, बीरमराम पिसरान शिवराम के पक्ष में कर दिया है, अतः वादग्रस्त आराजी में उसका कोई हित निहित नहीं रहने के परिप्रेक्ष्य में उसकी ओर से अधिवक्ता मूल अपील में उपस्थित नहीं हुए और मूल अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 08 जनवरी 2021 को खारिज हो गयी। बाद में अत्याधिक विलम्ब से आलौच्य रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो भारतीय समय सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 122 में दी गयी 30 दिन की समय सीमा व्यतीत हो जाने के बार पेश किया गया जो 317 दिन मियाद बाहर है। मूल अपील में निर्धारित तारीख पेशी पर किसी समुचित एवं विश्वसनीय कारण के अभाव में अपीलाण्ट्स अथवा अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स का अनुपस्थित रहना किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

भी प्रकार से अधिवक्ता की सद्भाविक भूल की श्रेणी में नहीं आता है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता–अप्रार्थी ने म्युटेशन संख्या 1561 दिनांक 07 सितम्बर 2021 ग्राम जसपाली, म्युटेशन संख्या 1633 दिनांक 14 अगस्त 2022 ग्राम जसपाली की प्रमाणित प्रतियॉ एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाडशहर द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 492/2016 अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवान सीयाराम व अन्य बनाम सोमुखां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 जून 2017 की छाया प्रति पेश की और निवेदन किया कि अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत, आधारहीन एवं गलत तथ्यों पर आधारित रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में मूल अपील में निर्धारित तारीख पेशी 8 जनवरी 2021 को अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स एवं अपीलाण्ट्स के अनुपस्थित रहने के कारण अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में अपील खारिज की गयी है। अनुपस्थिति का कारण तत्समय वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति और अधिवक्ता–अपीलाण्ट द्वारा अपनी डायरी में सही तारीख पेशी नोट नहीं कर पाया रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र में जाहिर किया गया है। जिस पर विश्वास नहीं करने का कोई समुचित ठोस कारण उपलब्ध नहीं है। जहॉ तक अपीलाण्ट संख्या एक सोमुखां द्वारा भूमि बेचान कर दिये जाने का प्रश्न है, अधिवक्ता–अप्रार्थी के इस कथन को तर्क के लिए पूर्णतः सत्य माल लिया जावे तो भी इस संबंध में गौरतलब है कि अव्वल तो अपीलाण्ट संख्या दो/प्रार्थिनी का वादग्रस्त आराजी में हित निहित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है और न ही अप्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया है। अतः इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आलौच्य रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार मूल अपील पुनः नम्बर पर ली जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10 अप्रेल 2023 को पेश हो।

आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर